

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 वैशाख 1938 (श0) (सं0 पटना 365) पटना, बुधवार, 4 मई 2016

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं 2 मई 2016

एस0ओ० 101, दिनांक 4 मई 2016—विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्रतिष्ठानों /कारखानों के निबंधन/लाईसेन्स / सर्टिफिकेट /नवीकरण हेतु प्रावधान किये गये है। उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निष्पादन हेतु पूर्व से समय सीमा निर्धारित नहीं है। चुंकि आवेदन दिये जाने हेतु ऑन—लाईन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

अतः आवेदन पत्रों के त्वरित निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवाशर्ते) नियामवली 1980 के लिए समय सीमा निर्धारित किये जाने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया है।

क्र0 सं0	विभिन्न श्रम अधिनियमों एवं सम्बद्ध नियम का नाम	निबंधन /लाईसेन्स हेतु निर्धारित समय सीमा
1	बिहार अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवाशर्ते) नियमावली, 1980 की नियम 04 (1) के अन्तर्गत स्थापनाओं का निबंधन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निष्पादन	15 कार्य दिवस
2	बिहार अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवाशर्ते) नियमावली, 1980 की नियम 07 के अन्तर्गत ठेकेदारों द्वारा व्यक्तियों की भर्ती के लिए लाईसेंस हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निष्पादन	15 कार्य दिवस

समय सीमा की गणना ऑन लाईन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रत्येक कार्य दिवस से की जाएगी । आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण / अपूर्ण / निर्धारित शुल्क से कम होने अथवा किन्हीं अन्य कारण से आवेदन अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में निबंधन एवं लाइसेसिंग पदाधिकारी समय सीमा के अन्तर्गत सकारण सुचना आवेदक को उपलब्ध करायेंगे।

(सं0 01/आई०एम०एल0—08/2016श्र0सं0—1726) बिहार—राज्यपाल के आदेश से, दीपक कुमार सिंह, सरकार के सचिव। 2 मई 2016

एस0ओ0 102, एस0ओ0 101, दिनांक 4 मई 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

> (सं0 01/आई०एम०एल0-08/2016%0सं0-1727) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दीपक कुमार सिंह, सरकार के सचिव।

The 2nd May 2016

S.O. 101, dated the 4th May 2016—The provisions have been made for registration and renewal of establishments / factories under different labour laws, but the time limit was not fixed earlier for the disposal of applications under these acts.

Since the system of submitting application for registration / renewal has been started online for the speedy disposal of the application, an administrative decision has been taken to fix the time limit for disposal under Bihar Inter State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 1980 as below:-

S. No	Name of the Acts & Rules	Time fixed for registration / license
1	Disposal of application for registration of establishment under The Inter State Migrant Workmen (Regulation Employment and Conditions of Service) Rules, 1980 Rule 04 (1) of the Bihar Inter State Migrant Workmen (Conditions of Service) Rules, 1980.	15 working days
2	Disposal of application for license for contractors for employing Inter State Migrant Workmen under the Inter State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 1980 Rule 7 of the Bihar Inter State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Condition of Service) Rules, 1980.	15 working days

Time limit will be calculated after the receipt of online application based on working days. In case of incorrect / incomplete or less fee, or due to other reasons if the application is rejected, the registering / licensing officer will communicate the same to the applicant in prescribed time.

(No. 1/IML-08/2016L&R—1726) By order of the Governor of Bihar, DIPAK KUMAR SINGH, Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 365-571+500-डी0टी01101

Website: http://egazette.bih.nic.in